देहरादून, बुधवार, 27 नवम्बर 2024
नगर संस्करण

दैनिक जनवाणी

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड

एक सकारात्मक सोच

epaper : www.dainikjanwani.com
वर्ष 14, अंक 67, पेज 12 | मूल्य : ₹ 5.00

गौतम गंभीर फेमिली फंक्शन में हिस्सा लेने भारत लौट रहे ...10

विकसित भारत बनाने में योगदान दें देशवासी : मुर्मू ...12

केंद्र में रही सरकारों ने संविधान को सही से लागू नहीं किया : मायावती ...11

नकारात्मक भूमिका निभाना चाहती है कृति सेनन ...12

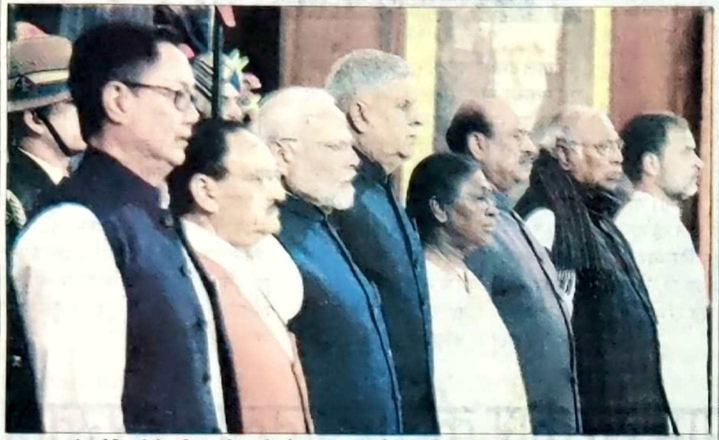

मंगलवार को नई दिल्ली में संविधान दिवस के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी।

जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो खराब

शीर्ष कोर्ट ने खारिज कर दी बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने की याचिका

● नई दिल्ली, वार्ता

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्शन में बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि ईवीएम से पार्टियों को दिक्कत नहीं है, आपको क्यों है। ऐसे आइडिया कहां से लाते हो।

इस पर याचिकाकर्ता केए पॉल ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ पर सवाल उठाए हैं। बेंच ने कहा, चंद्रबाबू नायडू या जगन मोहन रेड्डी जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि एश्ट से छेड़छाड़ होती है और जब वे जीतते हैं तो वे कुछ नहीं कहते हैं। हम इसे कैसे देख सकते हैं। हम इसे खारिज कर रहे हैं। ये वो जगह नहीं है जहां आप इस सब पर बहस करें। आप इस राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं? आपका कार्य क्षेत्र बहुत अलग है। बता दें कि पॉल ऐसे संगठन के अध्यक्ष हैं, जिसने 3 लाख से अधिक अनाथों और 40 लाख विधवाओं का रेस्क्यू किया है। वीवीपेट एक वोट वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिससे पता चलता है कि वोट सही तरीके से गया है या नहीं। अमेरिका जैसे देशों में भी बैलेट पेपर से वोटिंग याचिकाकर्ता केए पॉल ने इलॉन मस्क की टिप्पणियों का संदर्भ दिया जिन्होंने सुझाव दिया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 150 से अधिक देशों का दौरा किया है और अधिकांश ने बैलेट पेपर वोटिंग को अपनाया है। पॉल ने कहा कि मेरा मानना है कि भारत को भी यही तरीका अपनाना चाहिए। इस

पर बेंच ने कहा कि आप दूसरे देशों से अलग क्यों नहीं होना चाहते हैं। याचिकाकर्ता केए पॉल ने बेंच से चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान वोटर्स को पैसा, शराब और दूसरी चीजों का लालच देने का दोषी पाए जाने पर ऐसे उम्मीदवारों को कम से कम पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। 17 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव से जुड़ी कांग्रेस की याचिका खारिज हुई थी। 16 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 20 सीटों पर वोटिंग-काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग ने ईवीएम से हरियाणा में चुनाव कराए हैं। उसी के आधार पर रिजल्ट भी घोषित किए, मगर कुछ ईवीएम 99 प्रतिशत बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं, जबकि कुछ 60-70 और 80 प्रतिशत से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं। कुछ एश्ट में काउंटिंग वाले दिन भी 99 प्रतिशत बैटरी थीं। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐसी याचिका दायर करने पर आप पर जुमार्ना भी लगाया जा सकता है। आप कागजात सौंपिए, हम देखेंगे। तत्कालीन सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए पूछा था- क्या आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई नई सरकार का शपथग्रहण रोक दें? वहीं इसी साल 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बैलट पेपर से चुनाव कराने और इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपेट स्लिप की 100% क्रॉस-चेकिंग कराने से जुड़ी याचिकाएं खारिज की थीं।

> **“ जब चंद्रबाबू नायडू या रेड्डी हार गए, तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी और जब वे जीते, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम इसे कैसे देख सकते हैं? इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यह वो जगह नहीं है जहां आप इस सब पर बहस कर सकते हैं।**

संवाद

में आज ...पेज 8

अंबेडकर नहीं चाहते थे हिंदू राष्ट्र...

महिलाओं को आर्थिक मदद जीत का नुस्खा...

खुशखबरी : कूनो पार्क में निर्वा ने दिया चार चीता शावकों को जन्म

मध्यप्रदेश, वार्ता : मध्यप्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से एक खुश कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां मादा चीता निर्वा ने 22 नवंबर को चार शावकों को जन्म दिया। इस खबर की जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की, हालांकि उन्होंने शावकों की संख्या स्पष्ट नहीं की। कूनो नेशनल पार्क में पहले से 24 चीते मौजूद थे, जिनमें से 12 वयस्क और 12 शावक थे। अब निर्वा के चार शावकों के जन्म के बाद कूनो में कुल चीतों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। इस संबंध में कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ आर. तिरुकुराल ने बताया कि शावकों का जन्म होने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन कितने शावकों का जन्म हुआ है, यह जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।

सार संक्षेप

भारी मात्रा में अवैध शराब

खबरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

अधिकतम :22°C
न्यूनतम: 10°C
सेंसेक्स 80,004.06
24,194.50
सोना 77,820
चांदी 89,500

देहरादून, बुधवार 27 नवम्बर 2024 देहरादून संस्करण: वर्ष 24 अंक 116 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

www.shahtimesnews.com

विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें। मुफ्त पढ़ें E-paper

shahtimes2015@gmail.com मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 11 विक्रमी सम्वत् 2081 24 जमाद उल अव्वल 1446 हिजरी नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित

पीएम आवास के करीब पहुंचे इमरान समर्थक
विस्तृत खबर देश-विदेश पर

सईम अय्यूब का नाबाद शतक, पाक ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराया
विस्तृत खबर खेल टाइम्स पर

बिलाल की पीठ, नईम व कैफ के सीने और अयान के फेफड़े व लिवर को चीरकर निकली गोली

सम्भल हिंसा: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा

शाह टाइम्स ब्यूरो

मृतकों के परिजनों का आरोप- पुलिस ने चलाई गोली

सम्भल। सम्भल में बवाल के बाद तमाम सवाल अब भी पहेली बने हैं। बवाल में जिन पांच लोगों की मौत हुई, उनमें चार की जान गोली लगने से गई। यह गोलियां कितने हथियारों से चलीं और किसने चलाई, इसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। हालांकि, मृतकों के परिजन पुलिसकर्मियों पर ही आरोप लगा रहे हैं।

सम्भल में रविवार सुबह जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल में पांच लोगों की जान चली गई। मोहल्ला हयातनगर निवासी रोमान को छोड़कर अन्य सभी के शवों के पोस्टमार्टम कराए गए। पोस्टमार्टम से पता चला है कि गोली बिलाल की पीठ में लगी थी। यह गोली सीने से बाहर निकल गई। वहीं कैफ के सीने में गोली लगी और पीठ से बाहर निकल गई। इसके अलावा अयान और नईम के भी सीने में गोली -शेष पृष्ठ दो पर

तीसरे दिन भी रहा कर्फ्यू जैसा माहौल, इंटरनेट सेवा नहीं हुई बहाल

सम्भल। शहर व उससे सटे क्षेत्रों में तीसरे दिन भी अघोषित कर्फ्यू की स्थिति बनी रही। अधिकांश दुकानों के शटर नहीं खुले। मुख्य बाजार की सड़क पर इक्का-दुक्का राहगीरों को छोड़कर कोई भीड़ नहीं दिखाई दी।

अलबत्ता कोतवाली के बाहर मीडिया के ओबी वाहन सहित मीडिया कर्मियों का जमावड़ा रहा। सरकारी कार्यालयों में भी बाबू बतियाते रहे ओर यहां जनसामान्य की मौजूदगी नाममात्र की दिखाई दी। रोडवेज अड्डे पर सन्नाटा पसरा रहा और यात्री गंतव्य के लिए बसों को

■ बाजारों से ग्राहक गायब, पसरा रहा सन्नाटा

तलाशते रहे। उधर शाही जामा मस्जिद में तीसरे दिन भी अजान की गूंज सुनाई दी। रविवार जामा मस्जिद मे दोबारा सर्वे करने के दौरान वजूखाने के हॉज को खाली कराने पर हालत बिगड़ गए थे। कुछ देर बाद ही पथराव और फायरिंग से स्थिति काफी खराब हो गई थी। पांच लोगों की मौत से हालात और भी खराब हो गए। तीन दिन से बाजार बंद रहने से अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बन गए। जबकि जन जीवन पटरी पर लौटने लगा। बाजार में भी दुकानों पर ग्राहक नजर नहीं आए। बाजार में चहल-पहल न होने से सूनापन छाया रहा और दुकानदार भी हाथ-हाथ धरे बैठे नजर आए। सांय को दुकानें जल्दी ही बंद हो गई। जिसके चलते बाजार में सन्नाटा पसर गया और लोग अपने-अपने घरों को चले गए। दिन भर शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल बना रहा। अफवाहों को रोकने लिए बंद की गई इंटरनेट सेवा को तीसरे दिन भी बहाल नहीं किया गया। हालांकि पुलिस अधिकारी गश्त करते नजर आए।

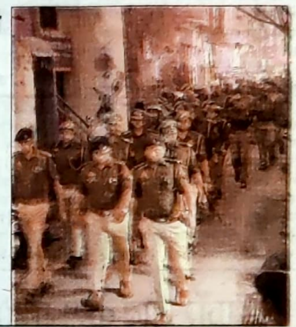

राहुल गांधी के सम्भल आने की सूचना, अमरोहा में पुलिस नाकेबंदी

मुरादाबाद। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में पांच लोगों की मौत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सम्भल आने की सूचना पर पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कर दी। दिल्ली से आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। हसनपुर एसडीएम सुनीता सिंह, सीओ श्वेताभ भास्कर और इंस्पेक्टर सुधीर कुमार के नेतृत्व में थाना पुलिस ने ब्रजघाट पुलिस चौकी के सामने बैरियर लगा कर वाहनों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने पर स्थानीय खुफिया विभाग भी लगातार घटनाक्रम पर निगरानी रखे हुए है। सम्भल में हिंसा के बाद की स्थिति तनावपूर्ण शांति में बदल चुकी है।

पुरानी संसद में एक मंच पर दिखे पीएम मोदी और राहुल गांधी

नई दिल्ली। देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में मंगलवार को विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी मौजूद रहे। आयोजन की थीम हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान रखी गई। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की गईं। 2 किताबों 'भारतीय संविधान का निर्माण- एक झलक' और 'भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा' का विमोचन किया गया। आयोजन में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ एक ही मंच पर बैठे नजर आए।

राज्यसभा की 6 सीटों के लिए उपचुनाव 20 दिसम्बर को

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की छह रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव 20 दिसम्बर को कराने की घोषणा की है और इसके लिए अधिसूचना तीन दिसम्बर को जारी की जाएगी। आयोग की ओर से मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इनमें आन्ध्र प्रदेश से तीन सीटें, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा से एक-एक सीट के चुनाव कराए जाने हैं। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, इन छह सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना आगामी तीन दिसम्बर को जारी की जाएगी और उसी के साथ नामांकन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नामांकन 10 दिसम्बर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन

चुनाव जीतने वाले EVM पर सवाल नहीं उठाते

सुप्रीम कोर्ट बोला आप हार जाएं, तो ईवीएम खराब, जीत जाते तो चुप्पी

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्शन में बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने की मांग करने वाली याचिका खारिज़ कर दी। याचिकाकर्ता केए पॉल ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ पर सवाल उठाए हैं।

इस पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू या जगन मोहन रेड्डी जब चुनाव हारते हैं, तो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ होती है और जब वे जीतते हैं, तो वे कुछ नहीं कहते हैं। बेंच ने कहा कि हम इसे कैसे देख सकते हैं। हम इसे खारिज कर रहे हैं। ये वो जगह नहीं है, जहां आप इस सब पर बहस करें। बेंच ने केए पॉल से कहा कि आप इस राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं? आपका कार्य क्षेत्र बहुत अलग है। पॉल ऐसे संगठन के अध्यक्ष हैं, जिसने 3 लाख से अधिक अनाथों और 40 लाख विधवाओं का रेस्क्यू किया है। पॉल ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। अमेरिका जैसे देशों में भी बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। हमें इसे फॉलो करना चाहिए। ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। एलन मस्क ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ पर चिंता जताई है। याचिकाकर्ता केए पॉल ने बेंच से चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान वोटर्स को पैसा, शराब और दूसरी चीजों का लालच देने का दोषी पाए जाने पर ऐसे उम्मीदवारों को कम से कम पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। 16 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 20 सीटों पर वोटिंग-काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग ने ईवीएम से हरियाणा में चुनाव कराए हैं। उसी के आधार पर रिजल्ट भी घोषित किए। मगर, कुछ ईवीएम 99 प्रतिशत बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं, जबकि कुछ 60-70 और 80 प्रतिशत से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं। कुछ ईवीएम में काउंटिंग वाले दिन भी 99 प्रतिशत बैटरी थीं। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई थी।

■ शीर्ष कोर्ट ने बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग की खारिज

■ याचिकाकर्ता पॉल ने कहा ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है, अमेरिका जैसे देशों में भी बैलेट पेपर से होती है वोटिंग

पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ बोले

अदालतें विपक्ष का रोल नहीं निभातीं

नई दिल्ली। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का स्पेस अलग है। कुछ लोग न्यायपालिका के कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं। वे कोर्ट को विपक्ष में बदलना चाहते हैं, लेकिन न्यायपालिका कानूनों की जांच करने के लिए है। दरअसल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ज्यूडिशियरी के काम करने के तौर-तरीके पर आपत्ति जताई थी। ज्यूडिशियरी का काम भी विपक्ष ने ले लिया है। हम मीडिया, जांच एजेंसी और न्यायपालिका का काम कर रहे हैं। राहुल के इसी बयान का जवाब देते हुए सीजेआई ने कहा कि मैं राहुल गांधी के साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों को यह नहीं मानना चाहिए कि न्यायपालिका को संसद या विधानसभाओं में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए।

महाराष्ट्र: चुनाव नतीजे आने के तीन दिन बाद भी मुख्यमंत्री तय नहीं

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के 3 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो सका। इसके लिए भाजपा पर्यवेक्षक भेजेगी, जो विधायकों से रायशुमारी करके सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। उधर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा सौंपा।

इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडनवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। विधानसभा का कार्यकाल मंगलवार यानी 26 नवम्बर तक ही था। नए मुख्यमंत्री के शपथ की तारीख तय नहीं है। तब तक शिंदे ही कार्यवाहक सीएम रहेंगे। शिंदे 28 जून 2022 से 26 नवम्बर 2024 तक सीएम रहे। शिंदे के इस्तीफे के बाद भाजपा विधायकों की मुंबई में बैठक बुलाई गई है। इसमें फडनवीस को नेता चुना जाएगा। इसके बाद सह्याद्रि गेस्ट हाउस में शिंदे, फडनवीस और अजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडनवीस का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। उनके नाम की आधिकारिक घोषणा हो सकती है।

■ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर सौंपा इस्तीफा

सोरेन ने खड़गे, राहुल व प्रियंका को शपथ ग्रहण समारोह में किया आमंत्रित

नई दिल्ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें झारखंड में नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। श्री सोरेन के साथ इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ ही पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलकर भी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया है।

RADIO SD 90.8 FM

आपके दिल की बात

रेडियो प्रोग्राम

सोमवार से शुक्रवार		रविवार स्पेशल	
सुबह 5 से सुबह 8	- भक्ति सागर	सुबह 8 से सुबह 9	- विकेन्ड का वॉर
सुबह 8 से दोपहर 12	- सूपर हाई फाई	सुबह 9 से सुबह 11	- टॉप 20
दोपहर 12 से दोपहर 3	- दी फ्रेंड शो	सुबह 11 से दोपहर 12	- रिक्वेस्ट शो
दोपहर 3 से सांय 4 बजे	- आशाएं	दोपहर 12 से दोपहर 1	- खास लोग खास मुलाकात
सांय 4 बजे से सांय 7	- दी रिक्वेस्ट शो		
सांय 7 से रात 10	- सुनहेरे किस्से	दोपहर 1 से दोपहर 3	- संडे का फंडा
रात 10 से रात 12	- एफआई लव शो	दोपहर 3 से सांय 6	- लव शो
रात 12 से सुबह 5	- बैक टू बैक सोंग	सांय 6 से रात 12	- बैक टू बैक सोंग

शनिवार स्पेशल
सांय 7 से रात 9 डिस्को स्टेशन
रात 9 से रात 10 डीजे नाईट

व्यापार मेले से चुराया 5 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म, गिरफ्तार

जीवाश्म को महंगे दामों पर बेचना चाहता था आरोपी, जेल भेजा | भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्टॉल पर रखा जीवाश्म 21 को हुआ था चोरी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत मंडपम में चल रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले से 5 करोड़ साल पुराना जीवाश्म चुरा लिया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे मेले में अपने स्टॉल पर प्रदर्शनी के लिए रखा हुआ था। पुलिस ने गैस्ट्रोपॉड जीवाश्म चुराने वाले आरोपी होटल मैनेजर मनोज कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से जीवाश्म बरामद कर लिया है। उसे मंगलवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, जीवाश्म को महंगे दामों पर बेचने के इरादे से मनोज ने यह हाईप्रोफाइल चोरी की थी। पुलिस उपायुक्त सुमित कुमार झा ने बताया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कर्मचारियों ने हॉल नंबर 4 में खान मंत्रालय के मंडप में स्टॉल से जीवाश्म चोरी होने की शिकायत 21 नवंबर को दर्ज कराई थी।

थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार की टीम ने जांच के दौरान आरोपी मनोज को पकड़ लिया। वह नोएडा के पांचसितारा होटल क्राउन प्लाजा में रिसीविंग मैनेजर है। चोरी कबूलते हुए उसने पुलिस को बताया कि वह शौक के चलते जीवाश्म चुराकर ले गया था। आरोपी के कब्जे से व्यापार मेले का 21 नवंबर का टिकट भी जब्त किया गया है।

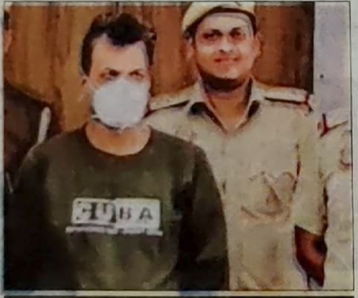

पुलिस गिरफ्त में आरोपी मनोज

एक किलो का है जीवाश्म

गैस्ट्रोपॉड जीवाश्म का वजन एक किलो है। यह भू-वैज्ञानिकों को जैसलमेर में मिला था, जहां कभी समुद्र होने का दावा है।

आयाम

लंबाई-14 सेंटीमीटर, चौड़ाई-10 सेंटीमीटर और ऊंचाई-12 सेंटीमीटर है।

- **घोंघा प्रजाति** : जीवाश्म घोंघा प्रजाति का है। इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इससे यह पता करने में आसानी होती है कि उस दौरान कैसा वातावरण रहा होगा।

खंगाले 100 से ज्यादा सीसीटीवी

पुलिस ने घटनास्थल और नजदीकी स्टॉल में लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। आरोपी मनोज नोएडा के सेक्टर 22 में रहता है। पुलिस उपायुक्त झा ने बताया कि मनोज कलाकृतियों के स्टॉल पर हर साल जाता रहा है। उसे उन्हें इकट्ठा करने का भी शौक है। हालांकि पुलिस को उसका पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है।

दोस्ती पुरानी, तस्वीर नई

पुराने संसद भवन में संविधान दिवस पर मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा।

सिंधिया राहुल के नजदीकी मित्र रहे हैं और भाजपा में शामिल होने से पहले टीम राहुल के सदस्य थे।

चुनाव हारें तो ईवीएम में छेड़छाड़, जीतें तो सब ठीक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई चुनाव हारता है तो इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में छेड़छाड़ का आरोप लगाता है। शीर्ष कोर्ट ने देश में ईवीएम के बदले मतपत्रों से चुनाव की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा, होता यह है, जब भी आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, जब हारते हैं तो ईवीएम में छेड़छाड़ हुई होती है। याचिका में मतपत्रों से चुनाव कराने के अलावा मतदाताओं को पैसा, शराब या अन्य चीजें बांटने का दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवारों को कम से कम पांच साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की भी मांग की गई थी। कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद याचिकाकर्ता केए पॉल ने जब कहा कि उन्होंने इस बारे में याचिका दायर की है तो पीठ ने तंज करते हुए कहा, आपकी याचिका दिलचस्प है। आपको इतने शानदार विचार आए कैसे? याचिकाकर्ता ने कहा, वह ऐसे संगठन के अध्यक्ष हैं, जिसने तीन लाख अनाथ बच्चों व 40 लाख विधवाओं की मदद की है तो पीठ ने कहा, आप राजनीति में क्यों कूद रहे हैं? आपका कार्यक्षेत्र बिल्कुल अलग है। ब्यूरो

देहरादून, बुधवार
27 नवंबर, 2024
नगर संस्करण
मूल्य ₹ 7.00
पृष्ठ 16+4=20
www.jagran.com

दैनिक जागरण

उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल से प्रकाशित

हिमालयी झीलों के बढ़ने से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ा 15
चार वर्ष में और डेढ़ सौ जिलों में बनेंगे सहकारी बैंक 15

संविधान की भावना के अनुरूप काम करे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका : राष्ट्रपति

नई दिल्ली में आयोजित संविधान दिवस समारोह के अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी • प्रेट

- अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति ने संविधान को बताया देश का सबसे पवित्र व प्रगतिशील ग्रंथ
- राष्ट्रपति ने संबोधन के उपरांत सभी सांसदों को संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों का कराया पाठ

संजय मिश्र • जागरण

नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देश के संविधान की भावना के अनुरूप आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से आपसी सामंजस्य के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। संविधान अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक मौके पर राष्ट्रपति ने संविधान को देश का सबसे पवित्र ग्रंथ बताते हुए कहा कि वास्तव में यह एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। इसके माध्यम से ही भारत ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के अनेक बड़े लक्ष्यों को हासिल किया है।

संविधान दिवस के मौके पर संविधान भवन के कैंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इसी ऐतिहासिक सेंट्रल हाल में संविधान सभा ने एक नए स्वतंत्र देश के लिए संविधान बनाने का बड़ा काम पूरा किया और सही मायने में यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लंबे सघर्ष का परिणाम था। इस अतुलनीय राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के रूप में संक्षेप में समाहित किया गया है। राष्ट्रपति ने संबोधन के उपरांत सभी सांसदों को संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों का पाठ भी कराया।

राष्ट्रपति ने जीएसटी, नारी वंदन अधिनियम से लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किए जाने का उल्लेख करते हुए इसे जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप संसद का प्रगतिशील कदम बताया। मंच पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जेपी नडडा, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने इस मौके पर संविधान के संस्कृत और मैथिली संस्करणों की प्रति तथा एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया।

संविधान हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक : मोदी >> पेज 12

पंथ को देश से ऊपर रखा तो खतरे में पड़ेगी आजादी

राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि रणनीति के तौर पर अशांति लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा बन सकती है। कहा कि संविधान के शुरुआती शब्द 'हम भारत के लोग' गहरे अर्थ रखते हैं जो नागरिकों को अंतिम प्राधिकारी के रूप में स्थापित करते हैं। जिसमें संसद उनकी आवाज के रूप में कार्य करती है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टियां पंथ को देश से ऊपर रखेंगी तो हमारी स्वतंत्रता दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी।

गरिमापूर्ण बहस की परंपरा का पालन करें : बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से संविधान सभा द्वारा स्थापित रचनात्मक और गरिमापूर्ण बहस की परंपरा का पालन करने का आग्रह करते हुए कहा कि संविधान सभा ने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधता को संविधान में पिरोने के लिए करीब तीन वर्षों तक कड़ी मेहनत की। संसद ने पिछले साढ़े सात दशकों में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। आम नागरिकों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार लाने के साथ लोकतंत्र में उनकी आस्था को गहरा किया है।

दैनिक जागरण
सप्तरंग
सेहत भरे जीवन का

जाड़ों में जोड़ों का दर्द बचने का सही उपाय

क्यों है चिंताजनक एडीएचडी

जागरण सिटी >> III

हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली : बांग्लादेश मे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भारत सरकार ने हिंदू धार्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत नही दिए जाने के मामले पर गहरा रोष जताया। साथ ही पड़ोसी देश मे हिंदुओं पर हो रहे हमले के नहीं थमने का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठाया है।

विस्तृत समाचार >> पेज 16

चुनाव हारे तो ईवीएम खराब, जीते तो चुप्पी

शीर्ष न्यायालय ने खारिज की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग, राजनीतिक दलों को दिया संदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद विपक्ष फिर से ईवीएम (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) के मुद्दे को तूल देने में जुटा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हुए देशभर में बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर अभियान चलाने का एलान कर दिया। लेकिन उनके इस एलान से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली एक याचिका पर न सिर्फ याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई, बल्कि राजनीतिक दलों को भी कड़ा संदेश दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि जब चुनाव हार जाते हैं, तो ईवीएम खराब हो जाती है और जीत जाते है तो चुप्पी। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना ठीक नहीं है।

- सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, ऐसे विचार आते कहां से हैं?
- भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा, बैलेट पेपर पर लौटने से क्या कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा?

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम नाथ और पीबी वराले की पीठ ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट में यह जनहित याचिका डा. केए पाल ने दायर की थी। कोर्ट ने इस दौरान उनसे पूछा कि यह याचिका दायर करने का शानदार विचार आपको कैसे मिला? आपको ऐसे विचार आते कहां से हैं? इस पर पाल ने कहा कि वह एक ऐसे संगठन के अध्यक्ष हैं, जिसने तीन लाख से अधिक अनाथों और 40 लाख विधवाओं को बचाया है। कोर्ट ने कहा कि आपका यह क्षेत्र तो बहुत अच्छा है। फिर आप राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं। इस पर पाल ने कहा कि वह दुनिया के 150 से अधिक देशों में जा चुके हैं। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या इनमें से प्रत्येक देश में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है या ईवीएम का इस्तेमाल होता है। पाल ने कहा कि इनमें से ज्यादातर देशों में बैलेट पेपर से मतदान होता है और भारत को भी इसे अपनाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप दुनिया के दूसरे देशों से अलग क्यों नहीं रहना चाहते? पाल ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने ही नौ हजार करोड़ से अधिक की राशि जब्त की है। कोर्ट ने कहा कि आप यह कैसे कह सकते है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर भ्रष्टाचार नहीं होगा।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उनकी इस याचिका को 18 से ज्यादा राजनीतिक दलों का समर्थन है। साथ ही टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी कह चुके हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि चंद्रबाबू जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है और जब वह जीत जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते है तो ईवीएम ठीक हो जाती है। जगन ने भी यह आरोप तब लगाया जब वह इस बार चुनाव हार गए। कोर्ट ने लंबी चर्चा के बाद याचिका खारिज कर दी। जब याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनावों में पैसा बांटा गया था यह हर कोई जानता है तो पीठ ने कहा, 'हमें किसी चुनाव में कोई पैसा नहीं मिला।'

बैलेट पेपर से हो चुनाव, गोदाम में रखी जाएं ईवीएम : खरगे >> पेज 15

सभी डीएम को भूमि की रजिस्ट्री में सतर्कता बरतने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण • देहरादून: उत्तराखंड में भू-कानून का उल्लंघन कर भूमि खरीदने वाले बाहर के व्यक्ति अब शिकंजा कसने के भय से भूमि राज्यवासियों को बेचकर उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्यवासियों को भूमि बेचने के बाद भी भूमि की खरीद-बिक्री में नियमों की अनदेखी करने वाले व्यक्ति कार्रवाई से बच नहीं सकेंगे। शासन ने इस संबंध में जिलाधिकारियों से भूमि की रजिस्ट्री में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

- भू-कानून का उल्लंघन करने वाले बाहरी व्यक्ति राज्यवासियों को भूमि बेचकर भी कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे
- प्रदेश में भूमि खरीद-बिक्री में भू-कानून के उल्लंघन के बड़ी संख्या में प्रकरण सामने आए हैं

प्रदेश में भूमि खरीद-बिक्री में भू-कानून के उल्लंघन के बड़ी संख्या में प्रकरण सामने आए हैं। उत्तराखंड में आवासीय उपयोग के लिए नगर निकाय क्षेत्रों में राज्य से बाहर के व्यक्ति बगैर अनुमति के 250 वर्गमीटर भूमि खरीद सकते हैं। इसी प्रकार, पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों एवं विभिन्न उद्यमों की स्थापना के लिए 12.5 ... वे अब इन जमीनों को राज्य के निवासियों को ही बेच रहे हैं। इसलिए स्थानीय जनता से अपील की जा रही है कि ऐसे व्यक्तियों से किसी भी तरह से जमीन का सौदा न करें, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह का कोई वित्तीय नुकसान न हो।

अपर सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति ने भू-कानून उल्लंघन कर

स्थानीय निकाय चुनाव में अब ज्यादा खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार

www.livehindustan.com

हिन्दुस्तान

1936 सत्य · सार्थक · सदैव

भरोसा नए हिन्दुस्तान का

बुधवार
27 नवंबर 2024, देहरादून

नगर संस्करण, वर्ष 15, अंक 281, 16 पेज, मूल्य ₹ 7.00, हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ मूल्य ₹ 10.00 • पांच प्रदेश • 24 संस्करण

गौतम गंभीर लौटे, एडीलेड में भारतीय टीम से जुड़ेंगे
P-14

संविधान दिवसः प्रधानमंत्री बोले-दंड आधारित व्यवस्था न्याय में बदली

संविधान सामाजिक न्याय का जरियाः मोदी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि संविधान सामाजिक न्याय का जरिया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत में हर किसी को गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक जीवन मिले, यह सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा माध्यम है और संविधान की भावना भी।

प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में कहा कि संविधान ऐसे समय में मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है, जब भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा के समापन भाषण में डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा व्यक्त किए गए शब्दों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 'उन्होंने (डॉ. राजेंद्र प्रसाद) कहा था कि भारत को ईमानदार लोगों के एक समूह से अधिक कुछ नहीं चाहिए, जो देश के हितों को अपने हितों से ऊपर रखेंगे।' मोदी ने कहा, राष्ट्र प्रथम की यह भावना आने वाली सदियों तक संविधान को जीवित रखेगी।

देश के दुश्मनों को बख्शेंगे नहीं: देश के दुश्मनों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। समारोह में मोदी ने ने मुंबई आतंकी हमले (26/11) की बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और *कहा कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले सभी आतंकी समूहों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।*

आपातकाल का भी जिक्रः प्रधानमंत्री मोदी ने 1975 में लागू आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि इसी संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। *उन्होंने कहा कि देश, काल और* परिस्थिति के हिसाब से उचित निर्णय लेकर संविधान की समय-समय पर व्याख्या की जा सके, यह प्रावधान संविधान निर्माताओं ने किया है। उन्होंने *कहा, वे (संविधान निर्माता) जानते थे कि आजाद भारत और उसके लोगों* की जरूरतें व चुनौतियां बदलेंगी, इसलिए उन्होंने संविधान को महज कानून की किताब बनाकर नहीं छोड़ा बल्कि, इसे एक जीवंत निरंतर *प्रवाहमान धारा बनाया। इसलिए नई न्याय संहिता लागू की गई है। दंड* आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में बदल चुकी है।

स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया

नई दिल्ली में मंगलवार को संसद भवन में संविधान दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे। • एएनआई

> मैंने संविधान द्वारा मुझे सौंपे गए कार्य की सीमाओं में रहने की कोशिश की है। मैंने सीमाओं में ही अपने विचार रखने की कोशिश की है। यहां सिर्फ इशारा ही काफी है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
> -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारत वैश्विक लीडर के रूप में उभराः सीजेआई

सीजेआई संजीव खन्ना ने संविधान को जीवन जीने का तरीका बताते हुए कहा कि इसका पालन, सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत जीवंत लोकतंत्र और वैश्विक लीडर के रूप में उभरा है। इसमें संविधान ने अहम योगदान दिया है।

मौलिक कर्तव्य निभाकर विकसित राष्ट्र बनाएंः मुर्मु

संसद के संविधान कक्ष में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संविधान को देश का सबसे पवित्र ग्रंथ बताया। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक गणतंत्र की आधारशिला है। राष्ट्रपति ने कहा, संविधान की भावना के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका का दायित्व मिल-जुलकर नागरिकों के जीवन को सुगम बनाना है। संविधान में प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य स्पष्ट हैं, जिसमें देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने, सौहार्द बढ़ाने एवं महिलाओं की गरिमा बनाकर रखने पर जोर दिया गया है। > ब्योरा P12

जाति जनगणना होगी, आरक्षण बढ़ाएंगेः राहुल

कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों की ओर से आयोजित संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, भाजपा और आरएसएस चाहे कुछ भी कर ले, देश में जाति जनगणना और आरक्षण की 50% की सीमा तोड़ने का काम होकर रहेगा।

उत्तराखंड को आपदा से निपटने के लिए 139 करोड़ रुपये मंजूर

नई दिल्ली/देहरादून, हिन्दुस्तान टीम। केंद्र सरकार ने आपदा के जोखिम को घटाने और क्षमता निर्माण परियोजनाओं को 15 राज्यों के लिए एक हजार करोड़ रुपये की धनराशि को हरी झंडी दिखाई गई। केंद्र द्वारा मंगलवार को लिए इस निर्णय के अनुसार, उत्तराखंड के लिए 139 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण व क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए धन आवंटन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी। इस समिति ने राज्यों की जरूरतों के अनुसार मंगलवार को बजट मंजूर किया। इस क्रम में उत्तराखंड में आपदा से पैदा होने वाले जोखिम को कम करने के लिए 139 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया। हिमाचल को भी 139 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र को 100 करोड़, कर्नाटक-केरल को 72-72 करोड़, तमिलनाडु व प.बंगाल को 50-50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। आठ पूर्वोत्तर राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड व सिक्किम के लिए कुल 378 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा समिति ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक रक्षा स्वयंसेवियों की ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण को 115.67 करोड़ रुपये के कुल व्यय वाली एक और परियोजना को भी मंजूरी दी।

धामी ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का आभार जताया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा मद में प्रदेश के लिए 139 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लिए स्वीकृत इस धनराशि से आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे आपदाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।

अमित शाह कल मसूरी आएंगे

देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मसूरी में होंगे। वो यहां एलबीएस प्रशासनिक अकादमी में होने वाले एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को सचिवालय में अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान डीजीपी दीपम सेठ, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, एडीजी एपी अंशुमान, आईजी केएस नगन्याल, सचिव पंकज पाण्डेय, दीपेन्द्र चौधरी, डॉ.आर राजेश कुमार, वीके सुमन, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय, डीएम देहरादून सविन बंसल, एसएसपी अजय सिंह, अपर सचिव सोनिका आदि मौजूद रहे।

आदेशः प्रदेश की पंचायतें भी अब प्रशासकों के हवाले

देहरादून, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने प्रदेश की पंचायतों में भी छह माह के लिए प्रशासक तैनात कर दिए हैं। ग्राम पंचायत अब संबंधित ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी व क्षेत्र पंचायतों को उपजिलाधिकारी देखेंगे। सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश किए।

हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल 28 नवंबर और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। राज्य सरकार पंचायतों में अभी ओबीसी आरक्षण तय नहीं कर पाई है, इससे चुनाव प्रक्रिया में वक्त लग सकता है। ऐसे में सरकार ने छह माह अथवा पंचायतों का गठन होने तक (जो पहले हो) प्रशासकों की तैनाती का निर्णय लिया है। सरकार ने डीएम को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होते ही संबंधित ब्लॉकों के सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने को कहा है। क्षेत्र पंचायतों में उप जिलाधिकारी काम देखेंगे।

एक साथ चुनाव!

पंचायतों का कार्यकाल बढ़ने से प्रदेश में पहली बार निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ भी हो सकते हैं। निकायों का कार्यकाल पिछले साल दिसंबर में खत्म हो चुका है। इनमें सरकार छह-छह माह के लिए दो बार प्रशासक बैठा चुकी है। इस वर्ष भी दिसंबर तक निकायों में चुनाव होने की उम्मीदें कम नजर आ रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार निकायों और पंचायतों में एक साथ चुनाव करा सकती है।

प्रमुख पांच

साजिश की असल वजह तलाश रहा प्रशासन

1 संभल में बवाल के तीसरे दिन भी प्रशासन और पुलिस साजिश की असल वजह तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। P1

माफी योजना लाने की तैयारी में ईपीएफओ

2 ईपीएफओ केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देश पर माफी योजना का खाका तैयार कर रहा है। P13

बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु को जेल भेजा

3 बांग्लादेश की कोर्ट ने चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। P1

पाकिस्तान में प्रदर्शन से बिगड़े हालात, छह मरे

4 इमरान खान के समर्थकों का प्रदर्शन हिंसक हो जाने के कारण छह सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। P

प्रदूषण के समय बच्चों की परवाह

5 दिक्कत यह है कि हम कुछ दिनों तक तो संवेदनशीलता दिखाते हैं, विशेषकर सर्दियों की शुरुआत में, लेकिन जैसे ही हवा कुछ साफ होती है, हम सब कुछ बिसरा देते हैं।

संचिता शील आचार्य P

'पूर्व विधायक ने खुर्दबुर्द की मेरी भूमि'

हि एक्सक्लूसिव

■ नवीन थलेड़ी

> मैंने कोई जमीन खुर्दबुर्द नहीं की है। आरोप लगाने वाली महिला मेरी बहन के समान है। उनके नाम पर जितनी जमीन थी वह अब भी मौके पर है। हां, अन्य जिस जमीन पर वो दावा कर रही हैं, उसका दस्तावेज तो दिखाएं। -मालचंद, पूर्व विधायक, पुरोला

देहरादून। पूर्व विधायक व भाजपा नेता मालचंद और उत्तरकाशी जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष जसोदा राणा पर एक एनआरआई महिला ने अपनी करोड़ों की जमीन खुर्दबुर्द करने का आरोप लगाया है। इस पर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। इस संबंध में बड़कोट के एसडीएम ने मालचंद और जसोदा राणा को नोटिस जारी किए हैं।

मामले में गढ़वाल कमिश्नर को सौंपे शिकायती पत्र में जर्मनी निवासी शशि नेस्ले प्रीटोरियस ने बताया कि देहरादून के वसंत विहार में उनका पैतृक घर है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2008 में उन्होंने यमुनोत्री मार्ग पर हनुमानचट्टी से पहले वजरी गांव में 125 नाली भूमि खरीदी थी। उन्होंने जमीन की खरीद अपने भाई लेफ्टिनेंट कर्नल विजय सिंह थापा (रिटायर) की मार्फत की थी। चूंकि वो एनआरआई थीं इसलिए पूरी जमीन उनके नाम पर नहीं हो सकती थी। ऐसे में उन्होंने पूर्व विधायक मालचंद और जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष जसोदा राणा को सह खातेदार बनाया था। इस जमीन की देखरेख उनका भाई करता था जिनका वर्ष 2019 में निधन हो गया। उन्होंने बताया कि जर्मनी में रहने के चलते वो बार-बार दून नहीं आ पाती थीं। एनआरआई का आरोप है कि इस बीच, आरोपियों ने उनके नाम का फर्जी सहमति पत्र बनाकर संबंधित जमीन अपने बेटे और बहू के नाम पर कर दी।

> संबंधित खबर P02

चंडीगढ़ में रैपर बादशाह के क्लब पर धमाके से दहशत

चंडीगढ़, एजेंसी। चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित दो नाइट क्लबों के पास मंगलवार तड़के तीन बजे दो जोरदार धमाके हुए। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि धमाकों में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इनमें एक क्लब रैपर बादशाह का है।

ये विस्फोट डिओरा और सेविले के बाहर हुए। सेविले कथित तौर पर रैपर बादशाह के स्वामित्व में है। सूत्रों ने बताया कि दो संदिग्ध बाइक पर आए थे। सीसीटीवी फुटेज में वे क्लब की ओर कुछ फेंकते दिखाई दे रहे हैं।

मंगलौर में किशोरी और तीन महिलाओं पर तेजाब फेंका

■ पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी

मंगलौर, संवाददाता। गंदगी को लेकर हुए मामूली विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर तेजाब फेंक दिया। इस हमले में एक किशोरी और तीन महिलाएं झुलस गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस छानबीन कर रही है।

जानकारी के अनुसार, मोहल्ला कटहेड़ा में एक किशोरी अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी। इस दौरान, पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने कूड़ा उनके घर के बाहर फेंकने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज कर दी। इस पर विवाद की स्थिति बन गई। इस बीच, कूड़ा फेंकने का आरोप लगाने वाले पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब की चपेट में आने से एक किशोरी व तीन महिलाएं झुलस गईं। आसपास के लोगों ने झुलसे लोगों को मंगलौर के सीएचसी में भर्ती कराया।

सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर भी दी। इंस्पेक्टर शांति कुमार गंगवार ने बताया कि मामले में छानबीन जारी है।

जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो छेड़छाड़ कैसेः शीर्ष कोर्ट

■ मतपत्र से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बजाय मतपत्र से चुनाव कराने की मांग खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जाती है, लेकिन जब आप चुनाव हारते हैं तो छेड़छाड़ की जाती है।

जस्टिस विक्रमनाथ व पीबी वराले की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब याचिकाकर्ता डॉ.केए पॉल ने कहा कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू व पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने भी कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा कि ईवीएम से हुए चुनाव में जब जगनमोहन रेड्डी की जीत हुई थी तो चंद्रबाबू नायडू ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और जब चंद्रबाबू नायडू की जीत हुई तो जगनमोहन रेड्डी आरोप लगाते हैं। पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए ईवीएम के बजाय मतपत्र से चुनाव कराने की मांग वाली डॉ. पॉल की जनहित याचिका खारिज कर दी।

दिल्ली ... के अध्ययन में हुआ खुलासा, उच्च रक्तचाप के 2750 मरीजों पर किया गया शोध

हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की 34.52 लाख की बिक्री
पेज-02

संसदीय चर्चा में शिष्टाचार और अनुशासन गिरा है : धनखड़
पेज-27

संभल में कट्टरपंथी मुसलमानों का षड्यंत्र देखिए! कट्टरपंथियों की पूरी तैयारी थी नरसंहार करने की! बड़ी संख्या में धारदार हथियार इकट्ठा कर रखे थे! पुलिस ने कई छोटे-बड़े हथियार जब्त किए हैं। अवैध हथियारों की गोली लगने से 4 मौतें होने की पुष्टि पुलिस ने की है।
पांचजन्य @epanchjanya

नगर निकाय चुनाव के लिए दावेदारों के खर्च की सीमा तय
पेज-09

नगर संस्करण

www.facebook.com\rashtriyasahara https://twitter.com/SaharaRashtriya www..rashtriyasahara.com

निजी आपात स्थिति के कारण स्वदेश लौटे गंभीर, एडीलेड में टीम से जुड़ेंगे
पेज-26

राष्ट्रीय सहारा

राष्ट्रीयता ■ कर्तव्य ■ समर्पण

■ देहरादून ■ नई दिल्ली ■ लखनऊ ■ गोरखपुर ■ पटना ■ कानपुर ■ वाराणसी से प्रकाशित

देहरादून

बुधवार • 27 नवम्बर • 2024

पृष्ठ 28, वर्ष-18, अंक 6178, मूल्य ₹ 4.00

सर्राफा दिल्ली सोना (प्रति 10 ग्राम) ₹ 78,150 | चांदी (प्रति किलो) ₹ 90,600 | शेयर सेंसेक्स 80,004 - 106 | निफ्टी 24195 - 27 | विनिमय दर ₹/$ 84.32 - 00.3 | मौसम (देहरादून) तापमान अधिकतम 21° | न्यूनतम 08°

संक्षिप्त खबरें

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक 29 दिसम्बर को

नई दिल्ली। कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक 29 नवम्बर को बुलाई गई है, जिसमें हालिया विधानसभा चुनावों के नतीजों तथा राजनीतिक माहौल पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कार्य समिति के सदस्यों, स्थायी आमंत्रित सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों को पत्र भेजकर आगामी शुक्रवार को होने वाली बैठक के बारे में सूचित किया। कांग्रेस और उसके सहयोगियों को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है।

ईडी ने चिटफंड घोटाले की जांच में की छापेमारी

कोलकाता। ईडी ने चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में यहां प्रयाग समूह से जुड़े कई परिसरों पर मंगलवार सुबह छापेमारी शुरू की। उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर छापेमारी की गई उनमें प्रयाग समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी की न्यू अलीपुर स्थित एक आवासीय इमारत और उपनगरीय जोका स्थित एक 'गेस्ट हाउस' शामिल है। उन्होंने बताया कि छापेमारी करने वाली ईडी की टीम के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की एक बड़ी टुकड़ी भी मौजूद थी।

राज्यसभा की छह सीटों के लिए उपचुनाव 20 को

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने राज्य सभा की छह रिक्त सीटों के लिये उपचुनाव 20 दिसंबर को कराने की घोषणा की है और इसके लिए अधिसूचना तीन दिसंबर को जारी की जायेगी। आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इनमें आन्ध्र प्रदेश से तीन सीटें, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा से एक-एक सीट के चुनाव कराये जाने हैं। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, इन छह सीटों पर उपचुनाव के लिये अधिसूचना आगामी तीन दिसंबर को जारी की जाएगी और उसी के साथ नामांकन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

संवैधानिक आदर्शों व मौलिक कर्तव्यों को आचरण में उतारें : मुर्मु

■ **नई दिल्ली (एसएनबी)।**

■ संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने देशवासियों से किया आह्वान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देशवासियों से संवैधानिक आदर्शों को आचरण में लाने तथा मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की अपील करते हुए वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने का राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने को कहा है।

श्रीमती मुर्मु ने संविधान को अंगीकार किये जाने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मंगलवार को यहां संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा,'' 75 वर्ष पहले, आज ही के दिन, संविधान सदन के इसी सेंट्रल हॉल में, संविधान सभा ने एक नये स्वतंत्र देश के लिए संविधान बनाने का बड़ा काम पूरा किया था। उस दिन, संविधान सभा के माध्यम से, हम, भारत के लोगों ने, इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और खुद को समर्पित किया। हमारा संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की मजबूत आधारशिला है। हमारा संविधान हमारी सामूहिक और व्यक्तिगत गरिमा सुनिश्चित करता है।'' राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। देश के दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप नये विचारों को अपनाने की व्यवस्था प्रदान की थी।

देश ने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास से संबंधित कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि एक नए दृष्टिकोण के साथ, भारत विदेशी राष्ट्रों के समुदाय में एक नई पहचान अर्जित कर रहा है। संविधान निर्माताओं ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्देश दिया था और आज भारत एक अग्रणी अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ 'विश्व-बंधु' की भूमिका भी बखूबी निभा रहा है। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि लगभग तीन-चौथाई सदी की संवैधानिक यात्रा में, देश संविधान निर्माताओं की अपेक्षा के अनुसार क्षमताओं को दिखाने और परंपराओं को विकसित करने में उल्लेखनीय हद तक सफल हुआ है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमने जो सबक सीखा है, उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2015 से हर साल 'संविधान दिवस' मनाने से युवाओं के बीच संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली है। उन्होंने सभी साथी नागरिकों से संवैधानिक आदर्शों को अपने आचरण में अपनाने का आग्रह करते हुए मौलिक कर्तव्यों का पालन करने और वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ने को कहा।

संविधान, हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक : मोदी

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को संविधान को देश के वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक करार दिया और कहा कि विकसित भारत में हर किसी को गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक जीवन मिले, यह सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा माध्यम है और संविधान की भावना भी। भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक भवन परिसर के सभागार में संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में अपनी सरकार की ओर से आरंभ की गई कई कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख भी किया और कहा कि इनसे लोगों के जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव हो रहा है, देश की प्रगति को गति मिल रही है और संविधान की मूल भावना भी सशक्त हो रही है। उन्होंने कहा कि देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से उचित निर्णय लेकर संविधान की समय-समय पर व्याख्या की जा सके, यह प्रावधान संविधान निर्माताओं ने किया है।

बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करने वालों को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

जीतने पर EVM खराब नहीं?

नई दिल्ली (एसएनबी)। उच्चतम न्यायालय ने देश में चुनावों के लिए फिर से मतपत्रों के जरिए मतदान कराने की व्यवस्था किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने टिप्पणी की, 'जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से छेड़छाड़ नहीं होती। जब आप चुनाव हार जाते है तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है।'

याचिका में मतपत्र से मतदान कराए जाने के अलावा कई अन्य दिशा-निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया गया था। याचिका में निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव के दौरान मतदाताओं को धन, शराब या अन्य भौतिक प्रलोभन वितरित करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। जब याचिकाकर्ता के ए पॉल ने कहा कि जनहित याचिका उन्होंने दायर की है, तो पीठ ने कहा, 'आपके पास दिलचस्प जनहित याचिकाएं है। आपको ये शानदार विचार कहां से मिलते हैं?' याचिकाकर्ता ने कहा कि वह एक ऐसे संगठन के अध्यक्ष है जिसने तीन लाख से अधिक अनाथों और 40 लाख विधवाओं को बचाया है।

पीठ ने इसके जवाब में कहा, 'आप इस राजनीति के क्षेत्र में क्यों उतर रहे हैं? आपका कार्य क्षेत्र बहुत अलग है।' पॉल ने जब बताया कि वह 150 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके है, तो पीठ ने उनसे पूछा कि क्या इन देशों में मतपत्रों के जरिए मतदान होता है या वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल होता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अन्य देशों ने मतपत्रों के जरिए मतदान की प्रक्रिया को अपनाया है और भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। पीठ ने कहा, 'आप बाकी दुनिया से अलग क्यों नहीं होना चाहते?' पॉल ने जवाब दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है और इस साल (2024) जून में निर्वाचन आयोग ने घोषणा की थी कि उन्होंने 9,000 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। पीठ ने कहा, 'लेकिन इससे आपकी बात कैसे प्रासंगिक हो जाती है... यदि आप मतपत्र की ओर लौटते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा?'

पॉल ने दावा किया कि टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और सह-संस्थापक एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। पीठ ने कहा, 'जब चंद्रबाबू नायडू हारे थे, तो उन्होंने कहा था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। अब इस बार जगन मोहन रेड्डी हारे है तो उन्होंने कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है।'

जब याचिकाकर्ता ने कहा कि हर कोई जानता है कि चुनावों में पैसे बांटे गए थे तो पीठ ने टिप्पणी की, 'हमें किसी चुनाव के लिए कभी कोई पैसा नहीं मिला।'

■ पीठ ने टिप्पणी की, 'जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती। जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है।'

■ पीठ ने कहा, 'आपके पास दिलचस्प जनहित याचिकाएं हैं। आपको ये शानदार विचार कहां से मिलते हैं?'

याचिकाकर्ता और पीठ के बीच सवाल-जवाब

याचिकाकर्ता के ए पॉल ने कहा कि जनहित याचिका उन्होंने दायर की है, तो पीठ ने कहा, 'आपके पास दिलचस्प जनहित याचिकाएं है। आपको ये शानदार विचार कहां से मिलते हैं?' याचिकाकर्ता ने कहा कि वह एक ऐसे संगठन के अध्यक्ष है जिसने तीन लाख से अधिक अनाथों और 40 लाख विधवाओं को बचाया है। पीठ ने इसके जवाब में कहा, 'आप इस राजनीति के क्षेत्र में क्यों उतर रहे हैं? आपका कार्य क्षेत्र बहुत अलग है।' पॉल ने जब बताया कि वह 150 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके है, तो पीठ ने उनसे पूछा कि क्या इन देशों में मतपत्रों के जरिए मतदान होता है या वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल होता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अन्य देशों ने मतपत्रों के जरिए मतदान की प्रक्रिया को अपनाया है और भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। पीठ ने कहा, 'आप बाकी दुनिया से अलग क्यों नहीं होना चाहते?' पॉल ने जवाब दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है और इस साल (2024) जून में निर्वाचन आयोग ने घोषणा की थी कि उन्होंने 9,000 करोड़ रुपये जब्त किए है। पीठ ने कहा, 'लेकिन इससे आपकी बात कैसे प्रासंगिक हो जाती है... यदि आप मतपत्र की ओर लौटते है, तो क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा?'

एकनाथ शिंदे ने दिया सीएम पद से इस्तीफा

■ नई सरकार के गठन तक बने रहेंगे सीएम

मुंबई (भाषा)। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के तीन बाद भी इस शीर्ष पद के लिए स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि भाजपा नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है, लेकिन पार्टी की ओर से अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। शिंदे और फडणवीस 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मंगलवार सुबह मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे लेकिन उनके बीच बातचीत नहीं हुई। शिंदे के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की शिवसेना नेताओं की अपील के बीच, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। शिवसेना नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा और जीता गया। उप मुख्यमंत्री फडणवीस और अजित पवार के साथ शिंदे ने मंगलवार सुबह राजभवन में राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने (शिंदे ने) अपना इस्तीफा सौंपा। राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल ने नये मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक शिंदे से कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा। निवर्तमान विधानसभा का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया।

From Page One

'Uphold Constitutional spirit working together'

The President also released a commemorative coin on the occasion and led the gathering in the reading of the Preamble to the Constitution.

Hailing the Constitution as a "living document", Ms. Murmu said framers of the Constitution were far-sighted to provide for a system that could adopt new ideas, reflecting the needs of changing times. "We have achieved many ambitious goals related to social justice and inclusive development through the Constitution," she said, adding that the aspirations of the people found expression in the many legislation enacted by Parliament and, during the past few years, the government took many steps for the development of all sections of society, especially the weaker ones. "Such decisions have improved the lives of the people and are providing them new opportunities for development," she said.

The President said the Constitution was the outcome of nearly three years of deliberations by some of the greatest minds but in the true sense, it was the outcome of the long freedom struggle.

"The ideals of that incomparable national movement came to be enshrined in the Constitution. Those ideals have been captured succinctly in the Preamble to the Constitution. They are justice, liberty, equality and fraternity. These ideals have defined India since the ages," she noted.

Mr. Dhankhar gave a call to parliamentarians to restore the "sanctity of our democratic temples through constructive dialogue, debate and meaningful discussion to serve our people effectively".

The Constitution's opening words – "We the People of India" – carry deep meaning, establishing citizens as the ultimate authority and Parliament serving as their voice, he said. "We must always put our nation first. We need to be on guard as never before," Mr. Dhankhar said, adding that these commitments were crucial for achieving the vision of Viksit Bharat by 2047.

Quoting Dr. Ambedkar's last address in the Con-

EVMs are tampered when you lose, fine if you win: SC

Evangelist K.A. Paul says his visits abroad revealed that paper ballot system is being followed in democracies across the world; judge asks him if he wants to turn court into a political arena

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Supreme Court on Tuesday indicated a level of hypocrisy attached to criticism about electronic voting machines, saying "EVMs are tampered when you lose and fine if you win".

The oral remark was made by Justice Vikram Nath before dismissing a petition filed by evangelist K.A. Paul, who sought a judicial order to return to paper ballots.

Justice Nath, during the hearing, asked Mr. Paul whether he wanted to turn the court into a political arena.

Mr. Paul said he was not playing any politics in court. He said his visits abroad to various countries revealed that the paper ballot system was being followed in democracies across the world.

He drew attention to the fact that the court was hearing his petition on Constitution Day.

Result ready: Polling officials carrying EVMs arrive at a counting centre in Ranchi, Jharkhand. PTI

The evangelist, appearing in person, said the Election Commission must be directed to disqualify candidates found distributing largesse, money, and liquor during elections for at least five years. He said corruption amounted to violation of fundamental rights to equality, due process of law and free speech and expression.

In April, the Supreme Court had, in a judgment, upheld the EVM system of polling while refusing to revive paper ballots.

"The weakness of the ballot paper system is well known and documented. Keeping in view the vast size of the Indian electorate, the number of candidates who contest the elections, the number of polling booths, and the problems faced with ballot papers, we would be undoing the electoral reforms by directing reintroduction of the ballot papers. EVMs offer significant advantages," the Supreme Court had reasoned in its verdict.

The court had observed that "blind distrust" of an institution or a system bred unwarranted scepticism and impeded progress.

Sharad Pawar to form legal team to probe doubts

MUMBAI

Taking cognisance of apprehensions of party leaders and booth-level workers' over the EVM's reliability, NCP(SP) chief Sharad Pawar has decided to form a legal team to analyse the allegations of EVM tampering. This comes after the unexpected outcome of the Maharashtra Assembly election.

HC seeks Centre's response to plea on Rahul's citizenship

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Rahul Gandhi

The Lucknow Bench of the Allahabad High Court has asked the Centre to furnish details of the action taken on a complaint which raised questions about Congress leader Rahul Gandhi's Indian citizenship.

A Bench of Justices Attau Rahman Masoodi and Subhash Vidyarthi was hearing a public interest litigation (PIL) petition filed by S. Vignesh Shishir, whose social media profile says he is a Bharatiya Janata Party member from Karnataka.

In his plea, Mr. Shishir submitted that he had sent a detailed representation-cum-complaint to the Foreigners Division of the Union Home Ministry requesting the authorities to cancel Mr. Gandhi's Indian citizenship under the relevant rules.

The plea alleged that Mr. Gandhi has British citizenship and sought a CBI probe. The petitioner urged the court to pass a direction to the Chief Election Commissioner to cancel Mr. Gandhi's electoral certificate.

The representation was moved following the dismissal of his previous PIL plea in which the court had asked him to approach the competent authority under Section 9(2) of the Citizenship Act, 1955, as far as it is permissible in law.

S.B. Pandey, Deputy Solicitor-General, submitted in the court that the representation made by the petitioner had been received in the Home Ministry and the same was under process.

"List this matter on December 19, 2024. The outcome of the representation shall be apprised to the court on the next date of listing," the court ordered.

hindustantimes.com
@hindustantimes @htTweets @hindustantimes @hindustantimes
■VOL. C NO. 283 ■PRICE ₹4.00/WITH HINDUSTAN ₹ 10.00 ■12 PAGES. AREA SPECIFIC PAGES EXTRA.

NEW DELHI/UTTARAKHAND
Wednesday, November 27, 2024

Hindustan Times
VOICE OF THE NATION @100 SINCE 1924
FIRST VOICE. LAST WORD.

'Constitution helped us achieve ambitious goals'

President Droupadi Murmu leads tributes on Samvidhan Divas

Smriti Kak Ramachandran
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Describing the Constitution as a living and progressive document, President Droupadi Murmu on Tuesday said it is the strong foundation stone of our democratic republic and one that ensures our collective and individual dignity.

"Our farsighted Constitution-makers had provided for a system of adopting new ideas, according to the needs of the changing times. We have achieved many ambitious goals related to social justice and inclusive development through the Constitution. With a new approach, we are earning for India a new identity in the comity of nations," she said in her address to lawmakers on Samvidhan Divas, the commemoration of 75 years of adoption of the Constitution.

Reflecting on the country's journey from the time the Constitution was framed, she said, "The Constitution-makers had given a directive for India to play an important role in promotion of international peace

continued on →7

President Droupadi Murmu addresses 'Samvidhan Divas' function at Samvidhan Sadan. PTI

Ready to defend Constitution: Cong

Press Trust of India
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Congress on Tuesday urged citizens to protect the ethos of the Constitution and said the struggle to defend India's inherent philosophy must be reinvigorated and reignited in the 75th year of its adoption.

In a swipe at the BJP, the opposition party also asserted that a time when those out to destroy the Constitution are showing insincere commitment towards it, "our duty to protect it and fight for its true values becomes all the more relevant".

Congress president Mallikarjun Kharge said the people of India should come together to protect each and every thought expressed in the Constitution.

"The 75th year of the adoption of the Constitution has begun today. I extend my warmest wishes to all Indians on this historic occasion," the Congress president said in a post on X.

"The Constitution of India, painstakingly and carefully drafted by our foremothers and forefathers is the lifeblood of our nation. It constitutes India into a sovereign socialist democratic republic," he said.

CM Shinde with Governor CP Radhakrishnan, on Tuesday. ANI

EKNATH SHINDE RESIGNS EVEN AS SUSPENSE OVER CM CONTINUES

Press Trust of India
letters@hindustantimes.com

MUMBAI: Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde on Tuesday morning met Governor C P Radhakrishnan here and tendered his resignation following the results of the assembly elections.

The governor asked Shinde to act as a caretaker chief minister till the new CM is sworn in, as suspense continues over who would be the ruling Mahayuti coalition's choice for the post following its landslide victory.

Shinde was accompanied by deputy Chief Ministers Devendra Fadnavis and Ajit Pawar as he visited the Raj Bhavan. The term of the outgoing Maharashtra assembly ends on November 26.

Despite the Mahayuti alliance of the BJP, Shinde-led Shiv Sena and Ajit Pawar's NCP securing a massive victory, winning 230 seats in the 288-member assembly, consensus has eluded the ruling combine's leaders so far on who should be the next CM.

Road Surcharge
of Rs 2/- is applicable on this edition for all locations except Dehradun, Haridwar, Mussoorie, Rishikesh, Roorkee, Haldwani, Nainital & Rudrapur.

Lose, you complain; win, EVM's fine: SC

Utkarsh Anand
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Supreme Court on Tuesday disapproved of repeated doubts raised over Electronic Voting Machines (EVMs), berating the tendency of political leaders to question the credibility of EVMs when they lose elections while conveniently accepting the system when they win.

"When you lose, EVMs are tampered with; when you win, EVMs are fine," a bench of justices Vikram Nath and PB Varale remarked while dismissing a public interest litigation (PIL) seeking a return to ballot papers and other electoral reforms including the disqualification of candidates accused of electoral corruption.

After petitioner KA Paul referred to statements by Andhra Pradesh chief minister Chandrababu Naidu and his predecessor Jagan Mohan Reddy casting doubts on the credibility of EVMs, the bench highlighted instances where leaders who questioned EVMs after defeats remained silent on their alleged flaws after securing electoral victories.

"When Chandrababu Naidu won this time, he didn't say EVMs could be tampered. This time, Jagan Mohan Reddy lost, he said EVMs can be tampered," commented the bench, referencing claims made by the Andhra Pradesh CM and his predecessor in previous years.

During the hearing, Paul argued that India's democracy was at risk due to the alleged manipulability of EVMs and sought a return to paper ballots to ensure transparency and fairness. Representing himself, Paul claimed that democracy would "die" unless corrective measures were taken and raised concerns over the large sums of money confiscated during elections as evidence of malpractice. However, the court questioned the logic of linking the ballot system to these issues, asking: "How will going back to the ballot system help curb this?"

Paul argued that only 32% of the population cast votes and called for measures to increase awareness. He also alleged financial impropriety involving industrialists and political parties, claiming an unnamed industrialist had spent ₹1,200 crore across six states to secure contracts worth ₹48,000 crore. He even cited Tesla CEO Elon Musk's purported comments on the possibility of tampering with EVMs.

The bench was unconvinced. "We have not seen or offered any money for casting votes. We don't know how this money is given," it said.

Ultimately, the court deemed the PIL an inappropriate avenue for such arguments. "This is not the platform to argue such matters," said the bench, dismissing the plea and advising Paul to pursue his grievances through proper forum.

Tuesday's order aligns with the Supreme Court's earlier endorsement of EVMs. On April 26, a bench comprising justices Sanjiv Khanna (now the Chief Justice of India) and Dipankar Datta dismissed a series of petitions seeking 100% cross-verification of EVM votes with Voter Verifiable Paper Audit Trails (VVPATs). The judges, in their concurrent opinions, reiterated EVMs' credibility, simplicity and security, emphasising that the machines have been instrumental in ensuring free and fair elections.

Justice Khanna pointed out the stringent safeguards implemented by the Election Commission of India (ECI) to prevent tampering, while justice Datta noted the technology's reliability in instilling voter confidence. The judgment added that while skepticism over EVMs persists in some quarters, no concrete evidence of tampering has ever been produced, and the ECI's protocols remain robust and transparent.

While the political discourse around EVMs and the scrutiny of ECI are likely to continue despite the Supreme Court's rulings, the top court on Tuesday reinforced its position that electoral integrity rests on established safeguards and evidence-based approaches, not political rhetoric.

What the SC said

SELECTIVE APPROACH: "When you lose, EVMs are tampered with; when you win, EVMs are fine."

"When Chandrababu Naidu won this time, he didn't say EVMs could be tampered. This time, Jagan Mohan Reddy lost, he said EVMs can be tampered."

MALPRACTICES CLAIMS: "How will going back to the ballot system help curb this?"

"We haven't seen or offered any money for casting votes... don't know how this money is given."

NOT THE APPROPRIATE FORUM: "This is not the platform to argue such matters."

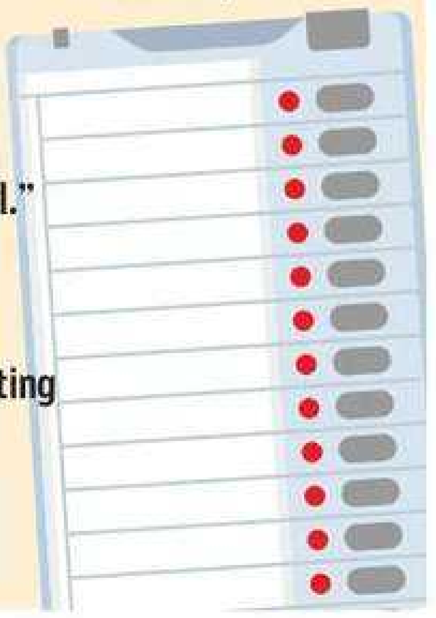

DEPRESSION MAY INTENSIFY INTO CYCLONE 'FENGAL' OVER TWO DAYS

Follow us on: @TheDailyPioneer facebook.com/dailypioneer instagram.com/dailypioneer/

RNI No. Regn. UTTENG/2007/22374, REGD. No. UA/DO/DDN/126/2016-2018
Late City Vol.18 Issue 326 | *Air Surcharge Extra if Applicable

Established 1865

the pioneer

DEHRADUN, WEDNESDAY NOVEMBER 27, 2024; PAGES 12 ₹3

www.dailypioneer.com

PUBLISHED FROM: DELHI | LUCKNOW | BHOPAL | BHUBANESWAR | RANCHI | RAIPUR | CHANDIGARH | DEHRADUN | HYDERABAD | VIJAYWADA

InSiDE

MONEY 10
FIRST GENERATION ENTREPRENEUR AND ESSAR GROUP CO-FOUNDER SHASHI RUIA DIES

Constitution is a guiding light: PM

PIONEER NEWS SERVICE
NEW DELHI

Hailing the Constitution as a "living stream", Prime Minister Narendra Modi on Tuesday said the sentiment of 'nation first' will keep the Constitution alive for centuries to come. Recalling the words of President Rajendra Prasad in his concluding address to the Constituent Assembly on November 26, 1949, PM Modi said he had stated that India does not need anything more than a group of honest people who will keep the country's interests above their own.

Addressing an event marking Constitution Day celebrations at the Supreme Court, Modi said the Constitution has now been fully implemented in Jammu and Kashmir and Constitution Day was celebrated there for the first time there. "Our Constitution makers knew that India's aspirations, India's dreams will reach new heights with time. They knew that the needs of Independent India and its citizens will change, challenges will change. That is why they did not leave our Constitution as just a mere book of laws. Rather, they made it a living, continuously flowing stream," Modi said, adding that the Constitution is acting as a "guiding light" at a time when India is going through a period of transformation.

"Today every citizen of the country has only one goal, to build a developed India," he said at the event which was attended by Law Minister Arjun Ram Meghwal, Chief Justice of India Sanjiv Khanna and Supreme Court Bar Association of India President Kapil Sibal, among others. India is going through a period of transformation and at such an important time, it is the Constitution of India that is "showing us the way and is a guiding light for us", PM Modi said.

Asserting that Indians should get speedy justice, PM Modi said that for this a new judicial code has been implemented. "The punishment-based system has now changed to a justice-based system," he said.

Speaking in a lighter vein while concluding his address, PM Modi said, "I have tried to keep within the boundaries of the job designated to me by the Constitution. I have not tried any encroachment. I have tried to put forward my views within the boundaries. Only a hint is enough here, there is no need to say much."

Chief Justice of India Sanjiv Khanna elaborated concerns in the judiciary, including backlog of cases, delays, costs of litigation, access to justice, and trust deficit in the system. He elaborated on some of these issues while highlighting efforts to address them. He highlighted the backlog of cheque-bouncing cases, which constitute nine per cent of pending cases in trial courts. He also highlighted the limited success of plea bargaining, compounding, and probation, as an area requiring legislative intervention.

"The backlog of check bouncing cases in our district courts have reached an alarming proportion - nearly nine per cent of the cases pending in the trial court. Data also reveals plea bargaining has been a non-starter. Compounding and probation have not gained acceptance. Perhaps these require legislative interference," CJI Khanna said.

The CJI also drew attention to the disparity between the judicial workforce and the prison population. With approximately 20,000 judges at the district level and 750 High Court judges, the judiciary handles a prison population of 5.23 lakh. Despite this disparity, data reflects efficient case handling, he said.

Prime Minister Narendra Modi addresses a gathering during Constitution Day celebrations at the Supreme Court PTI

India reacts to ISKCON monk's arrest, bail denial in Bangladesh

PIONEER NEWS SERVICE/ SAUGAR SENGUPTA
NEW DELHI/ KOLKATA

Taking strong exception to attacks on minorities in Bangladesh, India on Tuesday noted with "deep concern" the arrest, and denial of bail, to Hindu leader Chinmoy Krishna Das there and urged authorities there to ensure the safety and security of Hindus and all minorities.

Bangladesh police on Monday arrested Das, the leader of the Hindu group, Sammilita Sanatani Jote, from the Hazrat Shahjalal International Airport area in Dhaka.

In a statement, the Ministry of External Affairs (MEA) said it has noted with "deep concern the arrest and denial of bail" to Das who is also the spokesperson of the Bangladesh Sammilit Sanatan Jagran Jote. "This incident follows the multiple attacks on Hindus and other minorities by extremist elements in Bangladesh," it said.

There are "several documented cases" of arson and looting of minorities' homes and business establishments, as well as theft and vandalism and desecration of deities and temples, the MEA flagged.

"It is unfortunate that while the perpetrators of these incidents remain at large, charges should be pressed against a religious leader presenting legitimate demands through peaceful gatherings," the statement said.

The MEA also noted with concern the attacks on minorities protesting peacefully against the arrest of Das. "We urge Bangladesh authorities to ensure the safety and security of Hindus and all minorities, including their right of freedom of peaceful assembly and expression," it added.

Das was reportedly arrested on charges of sedition and his bail application was rejected by the Chittagong Metropolitan Magistrate Court. The court, noting that the police did not request Das' remand, ordered his transfer to judicial custody.

It also directed that he be granted all religious privileges during his detention. He was arrested on charges of disrespecting the Bangladeshi flag during a rally he addressed in October, according to Bangladeshi media reports.

Hindus in West Bengal have announced plans to protest and block the Petrapole Border if bail is not granted to ISKCON's Chinmoy Das.

Meanwhile, Suvendu Adhikari, a senior Bharatiya Janata Party (BJP) leader, said the party would hold protests in front of the West Bengal Assembly over the situation in Bangladesh. A torch rally is also planned.

Concerned at the arrest of Swami Chinmoy Krishna Das a senior sadhu of International Society of Krishna Consciousness, Bangladesh the ISKCON has appealed to the Indian Government to take up the issue with the Government on the other side of the border so as to secure the release of the monk at the earliest.

ISKCON monk Krishna Das Prabhu being taken in a police van after court ordered him detained pending further proceedings in Chattogram in southeastern Bangladesh AP/PTI

Maharashtra Governor CP Radhakrishnan receives Shiv Sena leader Eknath Shinde's resignation as Chief Minister PTI

Maharashtra still awaits its next CM

T N RAGHUNATHA ■ MUMBAI

On a day when he continued to put up covert resistance to Bharatiya Janata Party's plans to name its senior leader Devendra Fadnavis as the next Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde on Tuesday tendered his resignation as the CM, to Maharashtra Governor CP Radhakrishnan after the completion of the five term of the outgoing government. However, the Governor asked Shinde to remain as the caretaker CM till the new government assumed office in the State.

Fadnavis and Ajit Pawar, both of whom are Deputy CMs in the outgoing government, were present when Shinde tendered his resignation from his post as the CM to the Governor at Raj Bhavan. "The Governor has asked the Chief Minister to continue to hold the charge of his post till alternate arrangements are made," a communiqué from Raj Bhavan said.

SC asks for creative ways to deal with unruly air passengers

PIONEER NEWS SERVICE
NEW DELHI

The Supreme Court on Tuesday called for creative ways to deal with unruly air passengers, while directing the Centre and Directorate General of Civil Aviation (DGCA) to frame more comprehensive guidelines to control unruly air passengers guidelines in accordance with the international norms.and observed "something creative" had to be done. A Bench of Justices B R Gavai and KV Viswanathan was hearing a plea filed by a 73-year-old woman, on whom a male co-passenger allegedly urinated in an inebriated condition on board an Air India flight in November, 2022.

Interestingly, during the hearing, Justice Viswanathan recalled an incident involving drunk passengers on a flight while travelling with another

EVMs are tampered when you lose, and fine if you win: SC

PIONEER NEWS SERVICE ■ NEW DELHI

The Supreme Court on Tuesday indicated that a level of hypocrisy is attached to criticism about the Electronic Voting Machine (EVM), saying "EVMs are tampered when you lose and fine if you win". The oral remark was made by Justice Vikram Nath before dismissing a petition filed by evangelist KA Paul, who sought a judicial order to return to paper ballots. As the petitioner pointed out that even prominent leaders like Chandrababu Naidu and YS Jagan Mohan Reddy had raised concerns about tampering with EVMs, the SC Bench remarked, "When Chandrababu Naidu or Mr Reddy lost, they said that EVMs were tampered and when they won, they didn't say anything. How can we see this? We are dismissing this. This is not the place where you argue all of this." Petitioner KA Paul referenced Elon Musk's remarks who had suggested that EVMs could be tampered with.

Apart from ballot paper voting, the plea sought several directions including a directive to the Election Commission to disqualify candidates for a minimum of five years if found guilty of distributing money, liquor or other material inducement to the voters during polls.

When petitioner-in-person KA Paul said he filed the PIL, the Bench said, "You have interesting PILs. How do you get these brilliant ideas?". The petitioner said he is the president of an organisation which has rescued over three lakh orphans and 40 lakh widows.

"Why are you getting into this political arena? Your area of work is very different," the Bench retorted. After Paul revealed he had been to over 150 countries, the Bench asked him whether each of the nations had ballot paper voting or used electronic voting.

The petitioner said foreign countries had adopted ballot paper voting and India should follow suit. "Why you don't want to be different from the rest of the world?" asked the Bench .

There was corruption and in June 2024, the Election Commission announced they had seized Rs 9,000 crore, Paul responded. "But how does that make your relief which you are claiming here relevant?" asked the Bench , adding "if you shift back to physical ballot, will there be no corruption?".

Paul claimed CEO and co-founder of Tesla, Elon Musk, stated that EVMs could be tampered with and added TDP chief N Chandrababu Naidu, the current chief minister of Andhra Pradesh, and former state chief minister YS Jagan Mohan Reddy had claimed EVMs could be tampered with.

Pieces of broken window glass lie on the floor after an explosion outside a club in Chandigarh PTI

Two low-intensity explosions outside Badshah's lounge

PNS ■ CHANDIGARH

Two low-intensity explosions occurred outside as many bar-cum-lounges, one of them owned by rapper Badshah, in the Sector 26 area of Chandigarh early Tuesday. No casualties were reported The blasts occurred outside De'Orra and Seville. Seville is reportedly owned by the rapper. The explosions shattered De'Orra's glass windows.

In CCTV footage, an unidentified person was seen throwing something towards the lounge and thereafter a cloud of smoke emerged. Sources said two suspects came on a motorcycle.

Police said they received a call reporting a "loud sound" from the area around 3.25 am. A police team recovered jute rope pieces from the spot. A team from the Central Forensic Science Laboratory collected the samples, police said.

Chandigarh Deputy Superintendent of Police Dilbag Singh Dhaliwal told media an investigating officer who responded to the call found broken glasses at the scene. An FIR has been lodged and an investigation was underway, Dhaliwal said.

Puran, a worker at one of the clubs, said though the joint was closed, there were seven to eight workers inside at the time of the incident. He said they heard a loud sound around 3.15 am and rushed outside. They found broken glass, but did not spot anyone, he added.

Doctors on duty still vulnerable to attacks

SAUMYA SHUKLA ■ NEW DELHI

Amid the nation-wide talk about the safety of resident doctors in the aftermath of RG Kar hospital rape and murder case in Kolkata, the medical workers still continue to remain vulnerable as they faced harassment in two Delhi government hospitals including Safdarjung hospital where a senior Indian Police Service (IPS) officer allegedly verbally abused a doctor on duty, over the treatment of his wife. A CCTV video, purportedly showing the incident, depicted the Deputy Inspector General (DIG) of Armed Police and Training in Puducherry, angrily gesturing at the doctor and pointing his finger towards him.

However, no police case has been filed in both the cases even though the Central government had asked heads of all government hospitals in the country to register an institutional FIR within six hours of any incident of violence against an on-duty healthcare worker in the wake of the RG Kar rape and murder case that happened in Kolkata.

After the incident, doctors started sharing their concerns, raising questions about the behavior of people toward healthcare workers. Expressing his displeasure over the incident, a doctor on X said, "Brijendra Kumar Yadav, DGP Pondicherry disgraced his position and abused power by threatening and verbally assaulting a young on duty resident doctor treating his wife at Safdarjung Hospital. We turn to the police when we are assaulted. What to do when a top police officer becomes the perpetrator of aggression?"

In the first instance at Safdarjung hospital, the incident led operations in the emergency ward being temporarily halted. The wife of Brijendra Kumar Yadav had been admitted to the hospital for postoperative care following surgery at the hospital's Sports Injury Centre (SIC).

Although the CCTV footage had no sound, the man's body language clearly conveyed hostility. Later, the official X handle of the Resident Doctors' Association of Safdarjung Hospital shared an audio clip of the incident.

In the clip, a man can be heard saying, "I have studied twice as much as you, so don't think you are indispensable."

Federation of All India Medical Association (FAIMA) also issued a press release strongly condemning the incident of verbal harassment and bullying faced by a general surgery postgraduate resident of VMMC and Safdarjung Hospital Delhi on duty.

"The concerned person, Brijendra Kumar Yadav (IPS Officer) Batch 2010 AGMUT Cadre, and husband of patient Anita Roy (admitted to the seventh floor of the SIC building), engaged in behaviour that was both disgraceful and unacceptable. Such actions, particularly by a senior government official, are highly condemnable and violate the dignity of healthcare professionals who work tirelessly to serve patients," they said, demanding an apology from Yadav.

In another incident that took place in GTB hospital, a male patient, allegedly drunk, created ruckus in the neurosurgery department during treatment, breaking fixtures and threatening doctors on duty.

According to a statement by the Resident Doctors' Association of the University College of Medical Sciences (UCMS) and GTB Hospital, on Monday evening, a patient became violent during an examination, abused doctors, nurses, and staff on duty, and attempted to assault them. The patient also broke cabin partitions and smashed glass fixtures, it said.